

न्यायालय लोकपाल,शेखपुरा
मनरेगा
समाहरणालय परिसर, शेखपुरा (बिहार)
पंचाट (अधिनिर्णय)
परिवाद संख्या- 24 / 2018-19

परिवादी का नाम:- श्री योगेन्द्र पासवान ग्राम पंचायत- चकन्द्रा, प्रखण्ड- चेवाड़ा, जिला- शेखपुरा
आरोपित पक्ष:- पंचायत रोजगार सेवक ग्राम पंचायत राज चकन्द्रा प्रखंड- चेवाड़ा जिला- शेखपुरा
शिकायत का विवरणी:-परिवादी श्री योगेन्द्र पासवान से महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
अधिनियम 2005 के अन्तर्गत रोजगार कार्ड में शुद्धि हेतु वाद प्राप्त हुआ। इस
संदर्भ में इनकी आवेदन को स्वीकार करते हुए संबंधित पंचायत रोजगार सेवक
को आदेशित किया गया।

पंचाट/अधिनिर्णय:- दिनांक- 27.02.2019 को ग्राम पंचायत रोजगार सेवक द्वारा सूचित किया गया है
कि संबंधित आवेदन पर कार्यवाही करते हुए संशोधन कर नया रोजगार कार्ड
निर्गत कर दिया गया है। जिसके उपरान्त पंचाट/अधिनिर्णय जारी करते हुए वाद
संख्या -24 को निष्पादित किया जाता है।

निष्पादित दिनांक:- 28.02.2019



(ई0 पंकज सिन्हा)
लोकपाल, मनरेगा
शेखपुरा।

ज्ञापांक:- 211/लो०प०/2018-19 / दिनांक:- 28-02-2019 /

प्रतिलिपि:- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी-सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा शेखपुरा को सादर सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त-सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा को सादर सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- परिवादी श्री योगेन्द्र पासवान पंचायत चकन्द्रा प्रखंड- चेवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। पंचाट की प्रति जिले के
वेबसाईट पर अपलोड करवाने के लिए अनुरोध।

(ई0 पंकज सिन्हा)
लोकपाल, मनरेगा
शेखपुरा।